

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा  
 राजू जार करे वनाम दीपलाल जार करे

वादिना - ४४, ४७, ५२४, १४४, नं. १४४ सन २०२५

हुकम या कार्यवाही मयं इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए

26/11/24 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
 विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 22/11/24  
 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलक्टर, करेड़ा

20/12/24 पत्रावली वकी के जाणपय पा. शिवा  
 से तलब की गरी वकी के उपर हुकम  
 प्रकटा में रानीनाम हो जाके का जाणपय  
 प्रकट किया, वकी का प्रकट पत्र पत्र  
 शा. का. दिना. राधा, पत्रावली वकी  
 रानीनाम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक  
 22/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलक्टर, करेड़ा

रा. व. न. न.  
 र. म. र. व. न. न.



22/11/24 पत्रावली वकी रानीनाम राष्ट्रीय  
 लोक अदालत में पेश हुई। वकी का  
 उपर प्रकटा में वादिना में निकान किया  
 कि वकी का व. प्रकटा सख्या १२४  
 के मध्य आपसी रानीनाम हो जाके  
 कट कर पा में भव अर्थ कार्य का  
 नवी-वादे का निकान किया, वकी  
 का प्रकट जाणपय का अयलोकन किया,  
 वा. पत्र में प्रकट राधा रिको का  
 अयलोकन किया, वकी की व. का पत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक कलक्टर, करेड़ा

तारीख  
हुकम

सालय उपखंड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
करेडा (भीलवाड़ा)

1881/224

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजू पाट को 40 बीरा जा-को

मनन सिंग पुकासा में वाली (कम उम्दा)  
में कोई कार्यवाही नहीं करते से वाली  
केवास की कार्यवाही इसी हल पर कार्र  
की जाती है प्रयायनी फलान शकल  
अप नमक से कर ही

*Handwritten signature*  
अधिकारी  
कलक्टर

...

*Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.*

...

*Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.*